सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 136 — 1 चैत्र, 1932 शकाब्द

राँची, सोमवार 22 मार्च, 2010

### ऊर्जा विभाग

-----

### अधिसूचना

20 मार्च, 2010

## झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010

संख्या 449--भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) में दी गई शक्तियों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 180 (2) (डी) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010 बनाती है :-

1. <u>संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-</u>

(क) यह नियमावली झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तबतक :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है – विद्युत अधिनियम, 2003.

(ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है – झारखण्ड सरकार।

(ग) "महालेखाकार" से अभिप्रेत है – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची।

(घ) "आयोग" या "राज्य आयोग" से अभिप्रेत है – झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग।

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है – झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष।

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है – झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 में उनके लिए दिए गए है।

3. अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता :–

(I) अध्यक्ष का वेतन प्रतिमाह झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पद सृजन आदेश संख्या 2297 दिनांक 16.10.2003 के आलोक में रू० 24,500/– का प्रतिस्थानी नियत वेतन रू० 75,420/– प्रतिमाह होगा।

(II) अध्यक्ष यदि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होंगे तो उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य वेतन देय होगा तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, लीव ट्रैवेल कन्सेशन, आवासीय सुविधा/आवासीय भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधा देय होगी।

(III) अध्यक्ष की नियुक्ति यदि उच्च न्यायालय अथवा असैनिक सेवा से सेवानिवृत होने के पश्चात् होती है और वे पेंशन प्राप्त करते हों तो प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन की राशि को घटाकर वेतन देय होगा।

(IV) अध्यक्ष को अखिल भारतीय सेवा के समान वेतन पाने वाले कार्यरत पदाधिकारियों के समतुल्य मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, लीव ट्रैवेल कन्सेशन, आवासीय सुविधा/आवासीय भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधा देय होगी।

(V) यदि अध्यक्ष के पद पर वैसे सेवा निवृत्त पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, जो रू० 80,000/– (अस्सी हजार रू०) नियत वेतनमान में काम कर रहे थे, तो उन्हें वही वेतनमान अर्थात् रू० 80,000/– (अस्सी हजार रू०) प्रतिमाह घटाव पेंशन देय होगा।

4. **अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु अर्हता** :–

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु अर्हता/पदावधि/आयु सीमा एवं पुर्ननियुक्ति के सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

5. **सदस्यों को वेतन एवं भत्ता :–**

(I) सदस्यों को उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के अनुरूप वेतन मिलेगा।

(II) सदस्यों की नियुक्ति यदि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् होती है और वे पेंशन प्राप्त करते हों तो प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन की राशि को घटाकर वेतन का भुगतान होगा।

(III) अखिल भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् नियुक्त होने वाले सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के समान वेतन पाने वाले कार्यरत पदाधिकारियों के समतुल्य मँहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, लीव ट्रैवेल कन्सेशन, आवासीय सुविधा/आवासीय भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधा देय होगी।

अन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के राज्य सरकार के अनुरूप उपर्युक्त भत्ते देय होगा।

6. **नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्ति :–**

अध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में थे, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माने जायेंगे।

7. **अवकाश :–**

अध्यक्ष एवं सदस्य को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली के अनुसार अवकाश अनुमान्य होगा।

8. **अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकारी :–**

(क) अध्यक्ष के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए वे स्वयं सक्षम होंगे।

(ख) अध्यक्ष के उपार्जित अवकाश को स्वीकृत करने के लिए विभागीय मंत्री सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(ग) सदस्यों के आकस्मिक या उपार्जित अवकाश को स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. **अवकाश का नगदीकरण :–**

अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने कार्यकाल के समाप्ति पर उनके द्वारा अर्जित अवकाश, जो उपयोग में न लाये गये हों, उनका नगद भुगतान अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी नियमावली) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

10. **भविष्य निधि :–**

अध्यक्ष एवं सदस्य अपनी इच्छा से सामान्य भविष्य निधि में राशि की कटौती कर सकेंगे और ऐसी इच्छा के मामले में यह झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रावधान से शासित होंगे।

11. **आवासीय सुविधा** :–

क. अध्यक्ष एवं सदस्यों को सामान्य पुल से अनुमान्य श्रेणी का सरकारी आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जायगा।

ख. अध्यक्ष एवं सदस्यों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर या उनके द्वारा सरकारी आवास सुविधा का उपभोग न करने की स्थिति में आवास भत्ता मिलेगा।

ग. अध्यक्ष एवं सदस्य यदि सरकारी आवास को अनुनान्य अवधि के बाद भी दखल में रखते हैं तो उन्हें भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त किराया का भुगतान करना होगा।

घ. आवास का विद्युत शुल्क अध्यक्ष/सदस्यों को स्वयं वहन करना होगा।

12. **चिकित्सा सुविधा** :–

अध्यक्ष/सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्यगण को वह चिकित्सा सुविधा अनुमान्य होगी जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यगण को अनुमान्य है।

13. **वाहन सुविधा** :–

क. अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक–एक कार स्वतंत्र रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी एवं झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के लिए दो वाहन अलग से अनुमान्य होगी।

ख. वाहनों में ईंधन की अनुमान्यता अखिल भारतीय सेवकों को अनुमान्य सीमा तक परिसीमित होगी।

14. **दूरभाष सुविधा** :–

क. अध्यक्ष एवं सदस्यों को एस०टी०डी० सुविधायुक्त एक–एक मोबाईल फोन एवं कार्यालय तथा आवास में एक–एक दूरभाष अनुमान्य होगा।

ख. दूरभाष की कॉल संख्या अखिल भारतीय सेवकों के अनुमान्य सीमा तक परिसीमित होगी।

15. **यात्रा भत्ता** :–

अध्यक्ष एवं सदस्यों को यात्रा भत्ता की सुविधा उसी शर्त और दर पर मिलेगी जो समान वेतन वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलती है।

16. **अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession) :-**

अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा उसी शर्त और दर पर मिलेगी जो समान वेतन वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलती है।

17. **पेंशन :–**

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्य के बदले कोई पेंशन देय नहीं होगा।

(ख) जो अध्यक्ष/सदस्य अपनी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहे हों, वे जिस सेवा में थे उस पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ ले सकेंगे।

18. **पद एवं गोपनीयता का शपथ :–**

अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ झारखण्ड के राज्यपाल से लेंगे एवं अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ आयोग के अध्यक्ष से लेंगे।

19. **अन्य प्रावधान :–**

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए अगर इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है तो उक्त परिस्थिति में अखिल भारतीय सेवा के समान वेतन पाने वाले पदाधिकारियों के लिए लागू सेवाशर्तों से निर्देशित होगा। यदि इस नियमावली के प्रावधानों और राज्य सरकार की अन्य किसी नियमावली के प्रावधानों में कोई भिन्नता हो तो वैसी परिस्थिति में इस नियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ह०/– अस्पष्ट,**

सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 136--300+200 ।